CAPF कार्मिकों में आत्महत्या

प्रिलिम्स के लिये:

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), सेना, नौसेना, वायु सेना, नई पेंशन योजना (NPS), पुरानी पेंशन योजना (OPS), रथ यात्रा, मानसिक स्वास्थ्य चैंपियनशिप कार्यक्रम।

मेन्स के लिये:

CAPF में आत्महत्या और रोकथाम की रणनीति।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अपनी आत्महत्या दर को सफलतापूर्वक **40% तक कम** कर लिया है, जो **वर्ष 2023 में 25 मौतों से वर्ष 2024 में 15** हो गई है।

- **गृह मंत्रालय (MHA)** के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के बीच 654 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कार्मिकों की आत्महत्या से मृत्यु हुई।
  - **CRPF में 230,** BSF में 174, CISF में 89, SSB में 64, ITBP में 54, असम राइफल्स में 43 और **NSG में 3** जवानों ने आत्महत्या की।

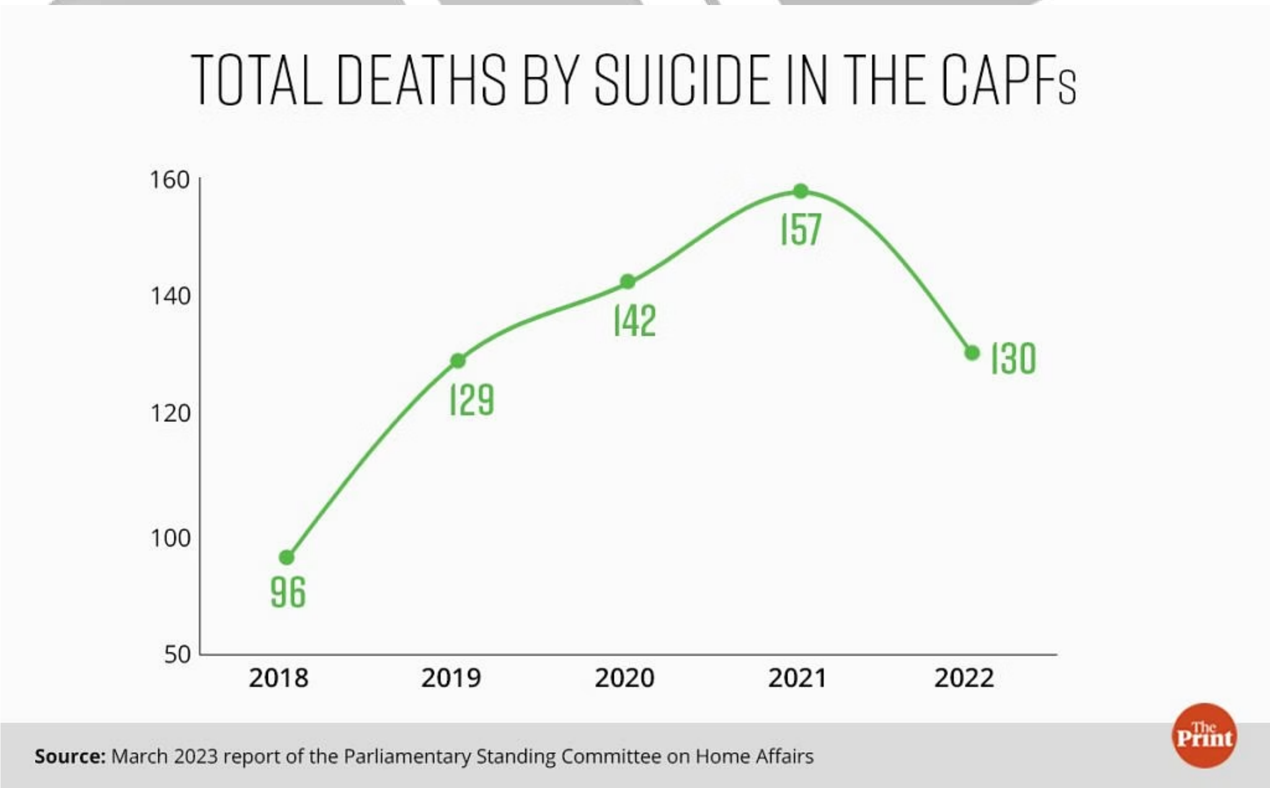

//

नोट: [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)] के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में **राष्ट्रीय आत्महत्या दर 12.4 प्रति लाख** थी।

- आत्महत्या दर किसी दी गई जनसंख्या में **प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर आत्महत्याओं** की **संख्या** है।

CAPF में आत्महत्या के क्या कारण हैं?

- **तनावपूर्ण तैनाती: कार्मिकों को प्रायः** पर्याप्त अवकाश के बिना, [नक्सल प्रभावित क्षेत्रों] और **जम्मू-कश्मीर** जैसे संघर्ष क्षेत्रों जैसे प्रतिकूल क्षेत्रों में तैनात किया जाता है ।
    - सेना के समान **"पीस पोस्टिंग"** का अभाव मानसिक थकान को बढ़ाता है।
        - पीस पोस्टिंग का अर्थ है सैनिकों को **अपेक्षाकृत स्थिर और गैर-शत्रुतापूर्ण वातावरण में तैनात करना,** न कि संघर्ष क्षेत्रों या उच्च तनाव वाले क्षेत्रों जैसे सीमाओं या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में।
- **पारिवारिक अलगाव:** परिवार से लंबे समय तक दूर रहने से **भावनात्मक तनाव** पैदा होता है और **भूमि विवाद या वित्तीय प्रबंधन** जैसे पारिवारिक मुद्दों को संबोधित करने में कठिनाइयाँ आती हैं।
    - आत्महत्या से मरने वाले **80% से अधिक सैनिकों की रिपोर्ट तब आई जब वे छुट्टी से घर लौटे थे।**
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ: मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियाँ सीमित होने के साथ,** मनोवैज्ञानिक सहायता लेना सैन्य बलों में **कलंकित** माना जाता है।
    - **महिला कार्मिकों** में आत्महत्या के प्रयास कम होते हैं, क्योंकि पुरुष प्रायः साथियों द्वारा उपहास के डर से अपनी समस्याएँ साझा करने से बचते हैं।
    - अनेक व्यक्तियों के अनुसार [सेना, नौसेना और वायु सेना] ही वास्तविक सेना है**,** जिससे **CAPF सैनिकों** में और अधिक हतोत्साहन उत्पन्न होता है।
- **कॅरियर में प्रगति संबंधी मुद्दे:** CAPF में **पदोन्नति की संभावना सीमित** है। अनेक मामलों में कार्मिकों को **एक ही पद पर 10 वर्ष तक** कार्य करना पड़ता है।
    - **उच्च पद** [IPS अधिकारियों] के लिये आरक्षित होते हैं और CAPF कार्मिकों को **निराशा की अनुभूति होती है**, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है।
- **नौकरी से संतुष्टि का अभाव:** सेना कार्मिकों को अपने **परिवारों के स्वास्थ्य तथा उपचार** के लिये प्रमुख शहरों में **आर्मी अस्पतालों की सुविधा प्राप्त होती है और CAPF कार्मिकों की तुलना में उनके परिवारों को आर्मी कैंटीन** में अधिक उत्पादों की उपलब्धता का विकल्प होता है।
    - CAPF [नई पेंशन योजना (NPS)] के अंतर्गत हैं तथा सशस्त्र बलों के कार्मिक [पुरानी पेंशन योजना (OPS)] के अंतर्गत आते हैं जिससे CAPF को अपेक्षाकृत **कम भुगतान मिलता है।**
- **आग्नेयास्त्रों तक पहुँच: सेवा के अंतर्गत प्रदत्त हथियारों** तक सरल पहुँच होने से संकट के समय आवेगपूर्ण कार्य करने का जोखिम बढ़ जाता है।

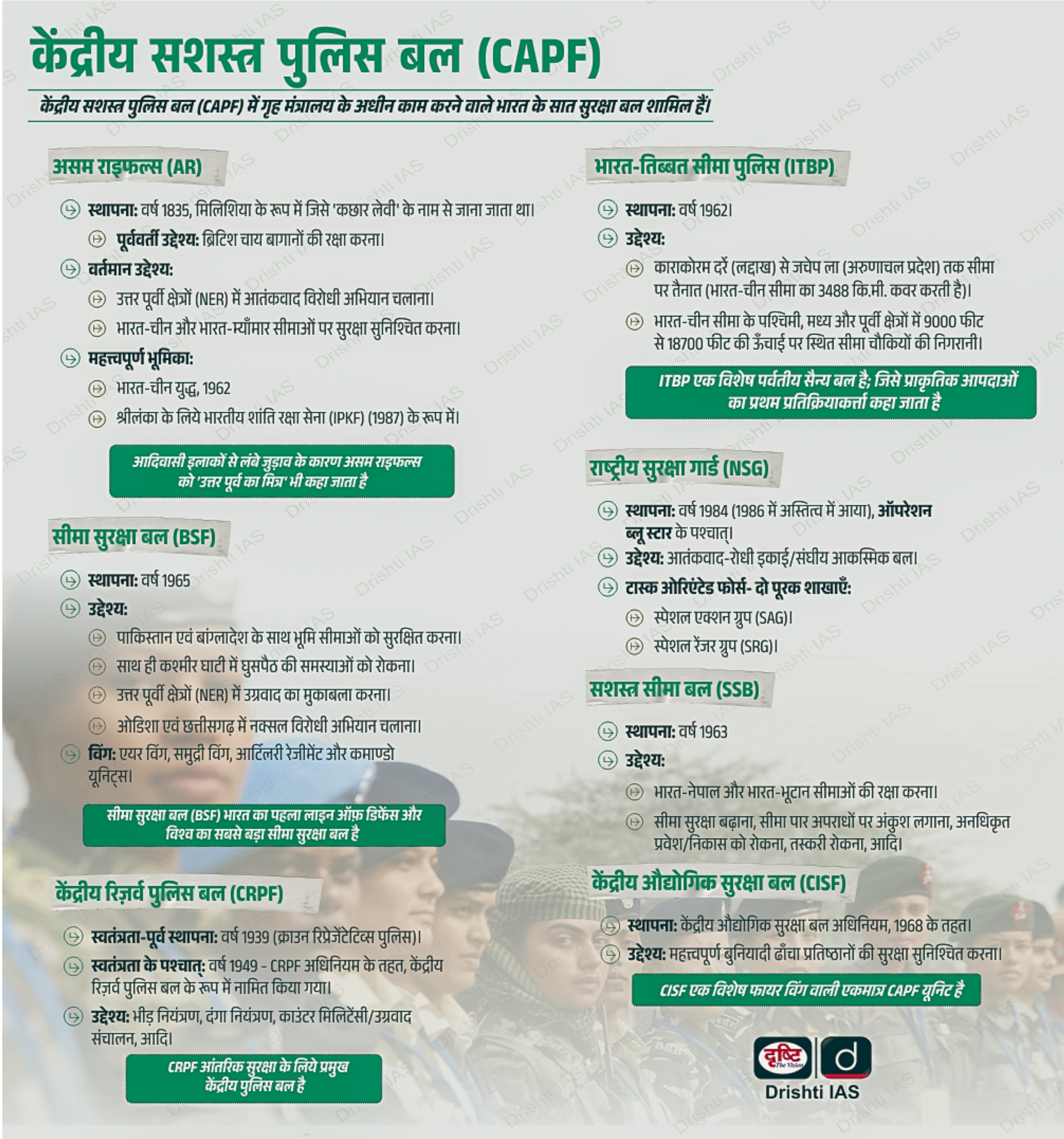

CRPF कार्मिकों में आत्महत्या की दर अधिक क्यों है?

- **आँकड़े:** गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में CRPF में**36 आत्महत्याएँ हुई, जो 2019 में** बढ़कर **40, 2020 में 54 और 2021 में 57 हो गई। वर्ष 2022 में** यह संख्या घटकर **43 हो गई।**
- **CRPF पर अत्यधिक निर्भरता:** राज्य पुलिस बलों में प्रायः संकटों के समाधान के लिये संसाधनों, जनशक्ति और प्रशिक्षण की कमी होती है, जिसके कारण CRPF को आगे आना पड़ता है।
    - CRPF **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित** करती है तथा महाराष्ट्र में **गणेश चतुर्थी** और **ओडिशा में रथ यात्रा** जैसे आयोजनों पर व्यवस्था बनाए रखती है।
    - इससे **कार्यभार बढ़ जाता है** और **विश्राम के अवसर कम हो जाते हैं।**

CAPF कार्मिकों की आत्महत्या की रोकथाम हेतु सरकार की क्या पहले हैं?

- **टास्क फोर्स का गठन: दिसंबर 2021 में गृह मंत्रालय** द्वारा जोखिम कारकों, रोकथाम रणनीतियों की पहचान करने और CAPF में आत्महत्याओं पर अनुसंधान करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
    - इसने CAPF की आत्महत्याओं के **3 प्रमुख जोखिम कारकों की पहचान की जिनमें कार्य स्थितियाँ, सेवा शर्तें और व्यक्तिगत/व्यक्तिगत मुद्दे** शामिल हैं।
- **ई-अवकाश प्रणाली**: CRPF का **संभव ऐप कार्मिकों को अवकाश के लिये शीघ्र** आवेदन करने में सक्षम बनाता है, तथा अवकाश अनुमोदन **ई-अवकाश पोर्टल के माध्यम से संसाधित होता है।**
- **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** CRPF ने जवानों के भावनात्मक कल्याण में सहायता के लिये**मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को तैनात किया है।**
    - CRPF में **कार्मिकों के सहयोगियों को** एक-दूसरे की निगरानी और सहायता करने के लिये **"साथी"** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिये एक **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।**
    - **CISF ने पर्यवेक्षकों के लिये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं** के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करने हेतु **मानसिक स्वास्थ्य चैंपियनशिप कार्यक्रम** शुरू किया है।
        - CISF की पहल को **प्रोजेक्ट मन द्वारा समर्थन प्राप्त है**, जो एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, यह **24/7 टेली-परामर्श** और व्यक्तिगत सत्र प्रदान करती है।
    - BSF ने परामर्श संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिये एम्स, नई दिल्ली के साथ साझेदारी की, जिसके लिये समर्पित बज़ट आवंटित किया गया।
- **परिवार-केंद्रित हस्तक्षेप:** अवसाद और मानसिक रोगों के मामलों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है, तथा**परिवार के सदस्यों को प्रभावित व्यक्तियों के साथ रहने की अनुमति देने का प्रयास किया जाता है।**

आगे की राह

- **कार्यभार प्रबंधन: यह सुनिश्चित करना कि तनाव कम करने** के लिये कार्मिकों को समय-समय पर **शांतिपूर्ण, गैर-शत्रुतापूर्ण वातावरण** में तैनात किया जाए।
    - **विधिक प्रवर्तन संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करना** और जनशक्ति में वृद्धि करना, ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर अत्यधिक बोझ न पड़े।
- **नौकरी से संतुष्टि:** उन्नति के लिये स्पष्ट राह बनाते हुए यह सुनिश्चित करना कि वरिष्ठ पद **केवल आईपीएस अधिकारियों के लिये आरक्षित नहीं हैं, अर्थात् CAPF के भीतर पदोन्नति के अवसरों में सुधार करना अनिवार्य हो।**
- **पारिवारिक सहायता कार्यक्रम: परिवार के सदस्यों को कार्मिकों के साथ रहने या** कार्यभार के दौरान **परिवार से मिलने के** अधिक अवसर प्रदान करना।
- **नीतिगत समर्थन: यह सुनिश्चित करना कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, अवकाश प्रणाली** और **कैरियर प्रगति** से संबंधित मौजूदा नीतियाँ CAPF कार्मिकों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समायोजित करने के लिये **अधिक लचीली हों।**
- **कौशल विकास: सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन** जीने के लिये CAPF कार्मिकों को **नौकरी पर प्रशिक्षण** प्रदान करना। जैसे, **मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती** आदि।

[illegible]:

प्रश्न: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में आत्महत्या की उच्च दर के लिये कौन से कारक जिम्मेदार हैं और इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

[illegible]

प्रश्न 1. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित "टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD)" क्या है? (2018)

(a) इज़रायल की एक राडार प्रणाली
(b) भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम
(c) अमेरिकी मिसाईल प्रतिरोधी प्रणाली
(d) जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/suicide-among-capf-personnel